भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2074
दिनांक 29 जुलाई, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का क्रियान्वयन

2074. श्री कनकमल कटारा:
श्री जुगल किशोर शर्मा:
श्रीमती लॉकेट चटर्जी:
श्रीमती रीता पाठक:
श्री रमेश बिधूड़ी:
श्री खगेन मुर्मु:
श्रीमती गीता कोडा:
श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो:
श्री सुनील कुमार सोनी:
श्रीमती केशरी देवी पटेल:
श्री चन्दन सिंह:
श्रीमती जसकौर मीना:
श्री जगन्नाथ सरकार:
श्री दिलेश्वर कामैत:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्री रमेश चन्द्र कौशिक:
श्रीमती शारदा अनिल पटेल:
श्री मितेष पटेल (बकाभाई):
श्रीमती रमा देवी:
श्री सुनील बाबूराव मेंढे:
श्री कृपानाथ मल्लाह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): एबी-पीएमजेएवाई की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, साथ ही देश में इसके लाभार्थियों की कुल संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी है;

(ख): गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत, आबंटित और अपयोग की गई राशि और योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या कितनी है;

(ग): गत तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के ओपीडी उपचार और अस्पताल में भर्ती पर कितना खर्च किया गया;

(घ): देश में इस योजना के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और इस हेतु क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं;

(ड.): देश के सभी अछूते क्षेत्रों को इसमें शामिल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ-साथ उन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां यह योजना लागू की जा रही है;

(च): इसके अंतर्गत अब तक जारी किए गए आयुष्मान भारत कार्डों की संख्या के साथ-साथ देश में स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(छ): क्या सरकार का देश में छूटे हुए/वंचित हितधारकों को उक्त योजना के लाभों में सम्मिलित करने और इसका लाभ प्रदान करने के लिए कोई सर्वेक्षण करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (छ): आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) की प्रमुख विशेषताएं **अनुलग्नक-I** में दी गई हैं। देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार लाभार्थी परिवारों की संख्या **अनुलग्नक-II** पर दी गई हैं। वित्त वर्ष में स्कीम के तहत जारी केन्द्रीय हिस्से की निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौराऔर पैनलबद्ध किए गए अस्पतालों की संख्या **अनुलग्नक-III** में दी गई हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उनके द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाण पत्र के बाद ही जारी की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम के तहत लाभार्थियों के अस्पताल में दाखिले पर 35,016 करोड़ रूपए का व्यय हुआ। इसमें 3 दिन तक अस्पताल में दाखिले से पूर्व और 15 दिन तक अस्पताल में दाखिले के बाद का व्यय भी शामिल है। इस तरह के लेन-देन आईटी प्लेटफार्म पर अलग से रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये इलाज पैकेजों का हिस्सा होते हैं।

एबी-पीएमजेएवाई के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं होते हैं क्योंकि यह स्कीम स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के लिए लाभार्थी की मांग के आधार पर संचालित की जाती है। स्कीम के तहत क्रियान्वयन कर रहे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी पात्र लाभार्थी योजना की शुरूआत के दिन से ही सेवाओं के लिए पात्र होते है।

33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यह स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस योजना को लागू नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को योजना में शामिल होने के लिए कह रही है ताकि पात्र लाभार्थी इसके तहत प्रदान किए गए लाभों से वंचित न हों।

एबी-पीएमजेएवाई पात्रता पर आधारित स्कीम है। पात्र लाभार्थी कैशलैस इलाज के लिए किसी भी पैनलबद्ध सार्वजनिक या निजी अस्पतालों में जा सकते हैं। स्कीम के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जाते हैं। 27 जुलाई, 2022 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के तहत 18.56 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने आईटी प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए 4.68 करोड़ जारी किए गए कार्ड शामिल हैं। स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों का ब्यौरा अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

एबी-पीएमजेएवाई के लाभार्थी डेटा बेस को पारिभाषित किया गया है। एसईसीसी 2011 के डेटा के आधार पर पहचान किए गए 10.74 करोड़ गरीब और वंचित परिवार (सबसे निचले स्तर की 40 प्रतिशत जनसंख्या) इस स्कीम के तहत मुफ्त इलाज के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एबी-पीएमजेएवाई के साथ मिलकर अपनी लागत पर अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीमें चालू करने की शिथिलता है। तद्नुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने स्कीम की कवरेज़ को अपनी लागत पर 14.75 करोड़ लाभार्थी परिवारों तक विस्तारित किया गया है।

अनुलग्नक-I

1. आयुष्मान भारत, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) के विज़न को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की अनुशंसा के अनुरूप शुरू की गई थी। इस पहल को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और इसकी रेखांकित प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो "किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना" है।
2. एबी-पीएमजेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है।
3. एबी-पीएमजेएवाई माध्यमिक और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य आश्वासन प्रदान करता है।
4. एबी-पीएमजेएवाई पूरी तरह कैशलेस और पेपरलेस स्कीम है।
5. एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभ देश भर में पोर्टेबल हैं।
6. परिवार के आकार, या उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं है.
7. आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत लाभार्थी परिवारों की पहचान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चयनित अभाव और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के आधार पर की गई है। विवरण नीचे दिए गए हैं:

एसईसीसी 2011 के अनुसार एबी-पीएमजेएवाई के तहत पात्रता के लिए मानदंडों की विस्तृत सूची
स्वत: रूप से शामिल:

1. आश्रय के बिना परिवारों
2. निराश्रित / भिक्षा पर रहने वाले
3. हाथ से मैला ढोने वाले परिवारों
4. आदिम जनजातीय समूह
5. कानूनी रूप से रिहा बंधुआ मजदूर

ग्रामीण क्षेत्र में अभाव मानदंड:

डी1: कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरा
डी2: 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं
डी3: 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य बिना महिला नेतृत्व वाले परिवार
डी4: अक्षम सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं
डी5: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवार
डी7: भूमिहीन परिवार मैनुअल नैमित्तिक श्रम से अपनी आय का बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं

शहरी क्षेत्र में व्यावसायिक मानदंड:

1) कूड़ा बीनने वाला

2) भिखारी

3) घरेलू कार्यकर्ता

4) स्ट्रीट वेंडर / मोची / हॉकर / सड़कों पर काम करने वाले अन्य सेवा प्रदाता

5) निर्माण श्रमिक / प्लंबर / मेसन / श्रम / पेंटर / वेल्डर / सुरक्षा गार्ड / कुली और अन्य हेड-लोड श्रमिक

6) स्वीपर / सफाई कर्मचारी / माली

7) घर आधारित श्रमिक / कारीगर / हस्तशिल्प कार्यकर्ता / दर्जी

8) परिवहन कार्यकर्ता / ड्राइवर / कंडक्टर / ड्राइवर और कंडक्टर के हेल्पर/ कार्ट चालक / रिक्शा चालक

9) दुकान में कार्य करने वाले कार्यकर्ता/ सहायक / छोटे प्रतिष्ठान में चपरासी/हेल्पर/ डिलीवरी सहायक / परिचर / वेटर

10) इलेक्ट्रीशियन / मैकेनिक / असेंबलर / मरम्मत करने वाले कार्यकर्ता / वाशर-मैन / चौकीदार

8. एसईसीसी 2011 के तहत पात्र लाभार्थियों की संख्या 10.74 करोड़ (50 करोड़ लोग) है। एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने वाले 33 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने 13.44 करोड़ परिवारों (65 करोड़ लोगों) को शामिल करने के लिए योजना के कवरेज का और विस्तार किया है।
9. एबी-पीएमजेएवाई पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और ओडिशा को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है।
10. यह योजना तीन-स्तरीय मॉडल के माध्यम से पूरे देश में लागू की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय, देश भर में एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने वाला शीर्ष निकाय है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर एबी-पीएमजेएवाई के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) की स्थापना की गई है। योजना हितधारकों के बीच जमीनी समन्वय सुनिश्चित करने और सुचारू कार्यान्वयन के लिए जिला कार्यान्वयन इकाइयों (डीआईयू) की स्थापना की गई है।
11. एबी-पीएमजेएवाई पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत को अनुपातकि रूप से साझा किया जाता है।

अनुलग्नक-II

<u>देश में लाभार्थी परिवारों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र- वार ब्यौरा।</u>

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एबी-पीएमजेएवाई के तहत पात्र परिवारों की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11,500
आंध्र प्रदेश	54,67,524
अरुणाचल प्रदेश	88,611
असम	26,96,996
बिहार	1,08,11,015
चंडीगढ़	30,074
छत्तीसगढ	36,50,364
डीएनएच और डीडी	26,342
गोवा	36,431
गुजरात	43,83,948
हरियाणा	15,45,936
हिमाचल प्रदेश	4,78,985
जम्मू और कश्मीर	5,97,801
झारखंड	28,05,753
कर्नाटक	62,09,073
केरल	22,05,505
लद्दाख	10,904
लक्षद्वीप	1,425
मध्य प्रदेश	83,57,257
महाराष्ट्र	83,63,664
मणिपुर	2,73,250
मेघालय	3,47,013
मिजोरम	1,94,859
नगालैंड	2,33,328
पुद्दुचेरी	1,03,434
पंजाब	14,64,802
राजस्थान *	58,95,363
सिक्किम	39,738
तमिलनाडु	77,70,928
तेलंगाना	25,90,010
त्रिपुरा	4,90,964
उत्तर प्रदेश	1,16,84,453
उत्तराखंड	5,23,536

नोट: उपरोक्त सूची में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और एनसीटी दिल्ली के एसईसीसी 2011 के पात्र लाभार्थी परिवार गणना में शामिल नहीं है क्योंकि वे एबी-पीएमजेएवाई को लागू नहीं कर रहे हैं।

अनुलग्नक-III

एबी-पीएमजेएवाई के तहत जारी निधियों और पैनलबद्ध अस्पतालों का राज्य वार/संघ राज्य वार ब्यौरा।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वित्त वर्ष** 2019-20		**वित्त वर्ष** 2020-21		**वित्त वर्ष** 2021-22		**वित्त वर्ष** 2022-23	
	जारी की गई निधि (करोड़ रुपए में)	**पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या**	जारी की गई निधि (करोड़ रुपए में)	**पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या**	जारी की गई निधि (करोड़ रुपए में)	**पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या**	जारी की गई निधि (करोड़ रुपए में)	**पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या**
अडंमान और निकोबार द्वीप समूह	0.41	-	0.27	-	0.76	-	-	-
आंध्र प्रदेश	374.07	818	261.23	70	223.95	576	111.10	10
अरुणाचल प्रदेश	-	17	0.67	16	0.00	18	-	7
असम	133.23	151	12.10	49	87.91	16	-	14
बिहार	82.49	200	-	44	59.77	45	-	25
चंडीगढ़	3.82	7	1.84	4	2.49	7	1.11	2
छत्तीसगढ	280.37	632	112.62	720	66.00	151	66.32	68
दादरा और नगर हवेली और दमण और द्वीव	2.02	0	4.24	0	1.76	0	-	0
दिल्ली	-	35	-	20		28	-	3
गोवा	0.06	16	0.49	3	0.60	8	-	-
गुजरात	212.33	105	99.84	104	330.55	168	-	51
हरियाणा	58.69	151	71.92	49	89.95	64	12.11	13
हिमाचल प्रदेश	19.12	22	32.93	13	33.71	35	-	15
जम्मू और कश्मीर	33.44	82	22.70	2	75.12	39	-	21
झारखंड	126.50	138	100.32	50	7.98	53	-	19
कर्नाटक	254.13	2356	160.85	241	414.11	102	-	28
केरल	97.56	130	145.61	179	138.90	160	69.45	23
लद्दाख	-	1	1.62	-	0.51	-	0.10	-
लक्षद्वीप	-	-	-	5	0.31	-	-	-
मध्य प्रदेश	118.46	318	164.80	209	355.25	206	207.22	40
महाराष्ट्र	241.88	185	376.65	333	324.75	93	164.88	27
मणिपुर	17.10	42	11.45	8	22.50	15	6.52	6
मेघालय	18.07	21	49.52	6	22.28	1	5.32	-

मिजोरम	12.41	16	14.97	4	16.58	-	1.98	1
नगालैंड	10.89	29	12.27	9	14.09	4	-	1
ओडिशा	-	24	-	2	-	1	-	-
पुद्दुचेरी	-	19	1.23	2	0.11	6	-	1
पंजाब	55.55	674	46.85	156	80.50	94	-	1
राजस्थान	200.07	974	258.31	21	96.39	12	-	6
सिक्किम	0.09	5	1.85	-	1.04	6	0.53	-
तमिलनाडु	441.77	88	359.81	44	75.14	623	122.79	53
तेलंगाना	-	20	-	16	150.26	394	-	211
त्रिपुरा	20.18	15	8.98	36	35.60	2	1.50	1
उत्तर प्रदेश	147.49	961	167.63	104	157.56	313	60.00	156
उत्तराखंड	30.73	27	40.52	18	54.23	29	-	19
पश्चिम बंगाल	-	52	-	6	-	4	-	3

नोट: ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एबी-पीएमजेएवाई को लागू नहीं कर रहे हैं। योजना की सुवाह्यता सुविधा के तहत उपचार प्राप्त करने के लिए लागू करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाभार्थियों की सुविधा के लिए इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अस्पतालों को पैनल में रखा गया है।

अनुलग्नक– IV

स्वीकृत और अस्वीकृत किए गए आयुष्मान कार्ड आवेदनों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवेदन स्वीकृत	आवेदन अस्वीकृत
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	40043	0
आंध्र प्रदेश	88	0
अरुणाचल प्रदेश	62772	513
असम	539226	53090
बिहार	7646955	42
चंडीगढ़	71725	112
छत्तीसगढ	15693571	75
दादरा एवं नगर हवेली और दमण और द्वीव	297092	0
गोवा	24950	0
गुजरात	14501281	24207
हरियाणा	2868042	232
हिमाचल प्रदेश	1121417	0
जम्मू और कश्मीर (लद्दाख सहित)	7329563	1262
झारखंड	9469838	55
कर्नाटक	929	2
केरल	6942739	3
लक्षद्वीप	19801	460
मध्य प्रदेश	27991916	18835
महाराष्ट्र	7530113	1088
मणिपुर	439728	42
मेघालय	1729919	7
मिजोरम	389143	8
नगालैंड	285954	18
पुदुचेरी	391009	0
पंजाब	7914511	52
सिक्किम	49307	0
तमिलनाडु	941	98
तेलंगाना	0	0
त्रिपुरा	1285727	3
उत्तर प्रदेश	19444887	70471
उत्तराखंड	4752936	8

नोट: राजस्थान में, एबी-पीएमजेएवाई को राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ अभिसरण में क्रियान्वित किया जा रहा है। अभिसरित योजना के तहत लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थी परिवार अपने मौजूदा जन आधार कार्डों का उपयोग कर सकते हैं।

****